**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/ए0एस0जे0, मुजफ्फरनगर**

उपस्थितः– रविन्द्र कुमार–IV (एच0जे0एस0)

विशेष वाद सं0ः–220/2012

उ0प्र0 राज्य ... अभियोजन पक्ष,

बनाम

नईम पुत्र श्री घसीटा, निवासी–ग्राम तिस्सा, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्त,

मुकदमा अपराध संख्या–29/2012,
धारा–135 विद्युत अधि0 2003,
थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर।

**निर्णय**

1– थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त नईम के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर संज्ञान लिया गया।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/परिवादी द्वारा थानाहाजा पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 28–12–2011 को नईम पुत्र श्री घसीटा, निवासी–ग्राम तिस्सा, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर, अवैध रूप/चोरी से कटिया डालकर, 02 कि0वाट विद्युत भार का घरेलू उपभोग करते हुए पाया गया। जबकि उसका संयोजन पूर्व में बकाया के आधार पर कटा हुआ था।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा कायम हुआ, घटना की विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

4– दिनांक 10–07–2018 को अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा धारा–138 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। जिसे अभियुक्त ने कर, विचारण नहीं चाहा।

5– आज दिनांक 10–07–2018 को ही अभियुक्त नईम द्वारा अपने अधिवक्ता की मार्फत इस आशय का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि यदि

विद्युत विभाग की कोई बकाया होगा तो वह उसे जमा कर देगा। प्रार्थी स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार कर, कम से कम अर्थदण्ड के आधार पर, अपने मुकदमे का निस्तारण कराना चाहता है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकारोक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय के सक्षम बयान भी किया गया।

6– उभय पक्ष, आवेदक/अभियुक्त, उसके विद्वान अधिवक्ता व सहायक शासकीय अधिवक्ता ''फौ0'' को सुना तथा पत्रावली/प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति की गयी है। अतः इस मामले में अभियोजन कथानक विरूद्ध अभियुक्त, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित है।

8– अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार किया है। अतः उसके प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए।

## निष्कर्ष

9– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले के अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138 विद्युत अधिनियम–2003 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता की मार्फत इस आशय का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि यदि विद्युत विभाग की कोई बकाया होगा तो वह उसे जमा कर देगा। प्रार्थी स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार कर, कम से कम अर्थदण्ड के आधार पर, अपने मुकदमे का निस्तारण कराना चाहता है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकारोक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय के सक्षम बयान भी किया गया।

10– इस मामले में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व बयान समक्ष न्यायालय, इस आशय के प्रस्तुत किये गये हैं कि वह स्वेच्छया अपने जुर्म का इकबाल करता है, विद्युत विभाग की कोई धनराशि होगी तो वह जमा कर देगा। इस प्रकार, इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम–2003 सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित है। तद्नुसार अभियुक्त नईम अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम–2003 दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त नईम पुत्र श्री घसीटा, निवासी–ग्राम तिस्सा, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर को उसके विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003, के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रविन्द्र कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 10–07–2018

<u>10–07–2018</u>

पत्रावली सजा/दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हुई।

उभय पक्ष, अभियोजन, अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा/दण्ड के बिन्दु पर सुना गया, पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारण किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि अभियुक्त ने अवैध रूप से चोरी कर, घरेलू बिजली का उपभोग किया है, जिसे उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। अभियुक्त पर अधिक से अधिक अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए।

दूसरी तरफ अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है, वह गरीब व मजदूर आदमी है, वह पुनः ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा। विद्युत विभाग का कोई बकाया होगा तो उसे जमा करा देगा। उसके प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाये।

उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। अभियुक्त ने स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया है, स्वयं को गरीब व मजदूर आदमी कहा गया है, पुनः कोई अपराध न करने व विद्युत विभाग का कोई बकाया होगा तो वह जमा करा देने सम्बन्धी कथन भी किये गये हैं। अतः इस मामले में अभियुक्त नईम को उसके विरूद्ध आरोपित आरोप के लिये मुबलिग 3,400/– (तीन हजार चार सौ) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

**<u>दण्डादेश</u>**

अभियुक्त नईम पुत्र श्री घसीटा, निवासी–ग्राम तिस्सा, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर को धारा–138 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत मुबलिग 3,400/– (तीन हजार चार सौ) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 (दो) माह का साधारण कारावास भोगना होगा।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा किये जाने पर उसे रिहा कर दिया जाए।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तर्गत धारा 437ए द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुपालन में मु0 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे।

इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(रविन्द्र कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 10–07–2018

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 10–07–2018